ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow
(Uttar Pradesh State Government University)

संख्या– 676 /भा.विवि/कुसका/2023 दिनांक : 21 अप्रैल, 2023

अप्रैल 28वीं कार्य परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 20 फरवरी, 2023 को प्रातः 11:00 बजे आचार्य नरेन्द्र देव प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्यपरिषद् की आहूत 28वीं बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे:–

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 जयशंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायन वोकेशनल पी0जी0 कॉलेज (के0के0वी0), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
3.	प्रो0 ललिता राव, बी0एड0 विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी0जी0 कॉलेज, वाराणसी।	सदस्य
5.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य	सदस्य
6	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष–सामाजिक विज्ञान	सदस्य
7.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू, (सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग)	सदस्य
9.	प्रो0 तनवीर खदीजा, आचार्य–अंग्रेजी विभाग	सदस्य
10.	प्रो0 सैयद हैदर अली, आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
12.	डॉ0 तत्हीर फातिमा, सह आचार्य–गृह विज्ञान	सदस्य
13.	डॉ0 वसी अहमद आज़म अंसारी, सहायक आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
14.	डॉ0 पूनम चौधरी, सहायक आचार्य–इतिहास विभाग	सदस्य
15.	श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्रित
17.	श्री अजय कृष्ण यादव, कुलसचिव	सचिव।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी द्वारा माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया द्वारा नव नामित कार्य परिषद् के सदस्य प्रो0 ललिता राव तथा प्रो0 जयशंकर प्रसाद पाण्डेय का सभी सदस्यों से परिचय कराते हुए स्वागत किया गया और तद्‌परान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से कार्यपरिषद 28वीं बैठक दिनांक 20.04.2023 की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बैठक हेतु प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए–

बिन्दु संख्या–28.1 :

कार्य परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 06 फरवरी, 2023 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा कार्य परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 06 फरवरी, 2023 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–28.2 :

कार्य परिषद् की 27वीं बैठक दिनांक 06 फरवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की 27वीं बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी तथा कार्य परिषद् की उक्त 27वीं बैठक के अधोलिखित बिन्दुओं पर निम्न निर्देश दिये–

बिन्दु संख्या–27.7 में उल्लिखित विश्वविद्यालय में अध्ययरनत् छात्र/छात्राओं के प्लेसमेन्ट के सम्बन्ध में विभागवार क्या–क्या कार्यवाही की जा रही है, आख्या प्राप्त करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या–27.17 में लिये गये निर्णयानुसार डॉ0 श्वेता अग्रवाल के प्रकरण के सम्बन्ध में अवशेष अंकपत्र/प्रमाणपत्र की सत्यता की जांच शीघ्र पूर्ण कराने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या–27.18 में लिये गये निर्णयानुसार श्री मूसी रजा के प्रकरण पर कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु राज्यपाल सचिवालय को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–27.19 में लिए गये निर्णयानुसार कुलगीत को और अच्छे रूप में तैयार किये जाने हेतु किसी प्रख्यात गीतकार/संगीतकार/कवि/शायर से बनवाये जाने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया–

1. प्रो0 चन्दना डे, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग
2. प्रो0 फख़्रे आलम, आचार्य, उर्दू विभाग
3. डॉ0 नीरज शुक्ल, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग
4. डॉ0 पूनम चौधरी, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग

बिन्दु संख्या–27.23 के सम्बन्ध में कार्यपरिषद की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया गया जिसपर कार्यपरिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अतिमहत्वपूर्ण 'विज़न डाक्यूमेंट' में एन0ई0पी0 2020 के आलोक में तैयार करने हेतु दिनांक 18 अप्रैल, 2023 को आयोजित कार्यशाला में मा0 सांसद/विधायक, कार्यपरिषद/विद्या परिषद के सदस्य, पूर्व कुलपतिगण, शिक्षाविदों एवं समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिये गये परामर्श को सम्मिलित करते हुए 15 दिन में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निम्नवत् समिति गठित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

1. प्रो0 सैयद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग
2. प्रो0 चन्दना डे, विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग
3. प्रो0 एहतेशाम अहमद, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग
4. डॉ0 तत्हीर फातिमा, विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग
5. डॉ0 प्रवीण कुमार राय, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग
6. डॉ0 राहुल मिश्रा, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग

बिन्दु संख्या–27 अन्य 5 पर चर्चा के दौरान प्रोवोस्ट/वार्डेन को अन्य विश्वविद्यालयों की भांति मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों को इस सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया जा चुका है, उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त कार्यपरिषद को अवगत करा दिया जायेगा। इसके पश्चात्

छात्रावास हेतु प्रोवोस्ट के पद के सम्बन्ध में चर्चा की गयी, सम्यक विचारोपरान्त ज्ञात हुआ कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी छात्रावास हेतु प्रोवोस्ट की व्यवस्था है। अतः विश्वविद्यालय में प्रोवोस्ट की व्यवस्था यथावत् लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या—28.3 :</u>

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा सत्र 2023—24 में प्रवेश में वृद्धि हेतु समस्त विभागाध्यक्षों को विभाग स्तर पर बैठक कर कार्ययोजना बनाने एवं तद्नुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में प्रवेश बढ़ाये जाने हेतु विश्वविद्यालय के आस—पास के बड़े गांवों में जहां पर इंटरमीडिएट कॉलेज संचालित हैं, उन गांवों में वर्कशॉप का आयोजन करते हुए इण्टर कॉलेज के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु प्रेरित किए जाने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या—28.4 :</u>

परीक्षा समिति की 06वीं बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद द्वारा परीक्षा समिति की 6वीं बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उक्त बैठक के विभिन्न बिन्दुओं पर निम्न निर्णय लिये गये—

इसके अतिरिक्त कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शोधार्थियों के कोर्सवर्क की उपस्थिति पंजिका पीएच0डी0 समन्वयक/शोध पर्यवेक्षक कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसपर कार्य परिषद् द्वारा पीएच0डी0 समन्वयक/शोध पर्यवेक्षक को उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया और तदोपरान्त शोधार्थियों के वायवा वोस आदि की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु कुलसचिव को निर्देश दिए गए।

उक्त के अतिरिक्त डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी, सहायक आचार्य, गृह विज्ञान का चयन इग्नू में होने एवं कार्यमुक्त किये जाने के फलस्वरूप किये गये अनुरोध के कम में सम्बन्धित पीएच0डी0 शोधार्थियों को पीएच0डी0 आर्डिनेन्स—2017 के प्राविधानानुसार पीएच0डी0 पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या—28.5 :

विद्या परिषद की 14वीं बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद द्वारा विद्या परिषद् की 14वीं बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान करते हुए स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित होने वाले नवीन पाठ्यक्रमों के पद सृजन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विद्या परिषद् की 14वीं बैठक के बिन्दु संख्या—8 में लिये गये निर्णय अन्तर्गत फॉर्मेसी पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में फैकल्टी आफ फार्मेसी को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या—10 के सम्बन्ध में प्रो0 जयशंकर पाण्डेय द्वारा परामर्श दिया गया कि चूंकि यह भाषा विश्वविद्यालय है अतः विश्वविद्यालय में अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया जाय और इन भाषाओं हेतु पद सृजन की मांग शासन से की जाय, जिस पर कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त के अतिरिक्त कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर इंडियन नॉलेज सिस्टम केन्द्र स्थापित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके संचालन हेतु कार्यपरिषद द्वारा आई0के0एस0 सेन्टर की रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रो0 ललिता राव, प्रो0 जयशंकर पाण्डेय, डॉ0 ममता शुक्ला, डॉ0 नीरज शुक्ल एवं श्री शचीन्द्र शेखर शकुन्त की एक समिति का गठन किये जाने पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—28.6 :

वित्त समिति की 21वीं बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति की 21वीं बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा बिन्दु संख्या—4 के अन्तर्गत बी0टेक0 के छात्र/छात्राओं हेतु फर्नीचर एवं प्रयोगशाला उपकरण के मद में स्वीकृत धनराशि के दोनों मदों में 10 प्रतिशत तक फ्लोटिंग धनराशि के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त वित्त समिति के बिन्दु संख्या 16.1 के अन्तर्गत एल्यूमिनाई एसोसिएशन के खाते के संचालन हेतु वित्त अधिकारी को संयुक्त सचिव बनाये जाने पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–28.7 :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 31–01–2023 में लिये गये निर्णय सम्बन्धी कार्यालय आदेश संख्या–2164/भा.विवि/कु.का./2023/832/22 दिनांक 31–01–2023 पर सभी सम्बन्धित अभिलेखों का अनुशीलन करने के उपरान्त अनुशासनिक समिति द्वारा तैयार किये गये पूरक आरोप–पत्र ।। के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

अनुशासनिक समिति द्वारा प्रो0 माहरूख मिर्जा के विरूद्ध तैयार किये गये पूरक आरोप–पत्र ।। को कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद की बैठक में पढ़कर सुनाया गया जिसपर कार्यपरिषद द्वारा पूरक आरोप–पत्र ।। पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–28.8 :

श्री शबीह हैदर की अर्हता की जांच के उपरान्त सहायक लेखाकार की निर्धारित योग्यता न रखने का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री शबीह हैदर को आरोप–पत्र के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा श्री शबीह हैदर, लेखाकार के विरूद्ध तैयार किये गये आरोप पत्र को पढ़कर सुनाया गया जिसपर कार्यपरिषद द्वारा आरोप पत्र पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–28.9 :

डॉ0 मुतर्ज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य–उर्दू विभाग की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में उनके द्वारा उपलब्ध कराये प्रार्थनापत्र दिनांक 27–02–2023 एवं 16–03–2023 पर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 मुतर्ज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य–उर्दू विभाग की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि डॉ0 मुतर्ज़ा तीन माह से अधिक अवधि से अनुपस्थित हैं तो उन्हें स्टेट मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जाये तथा कार्यपरिषद द्वारा कुलसचिव को निर्देशित किया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली में क्या व्यवस्था है उसका अध्ययनकर पुनः आगामी कार्य परिषद् में प्रस्तुत किये जाये। जिसपर कार्यपरिषद में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–28.10 :

डॉ0 श्वेता शर्मा, सहायक आचार्य–अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय द्वारा चयन डॉ0 हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश में हो जाने के फलस्वरूप सहायक आचार्य–Applied Science and Humanities के पद को रिक्त घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् डॉ0 श्वेता शर्मा, सहायक आचार्य–अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय द्वारा चयन डॉ0 हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश में हो जाने के फलस्वरूप सहायक आचार्य–Applied Science and Humanities के पद को रिक्त घोषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जब तक इस पद पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक के लिए सहायक आचार्य (अस्थायी) से पठन–पाठन कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–28.11 :

कार्य परिषद् की 26वीं बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2022 के बिन्दु संख्या–26.11 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने तथा नई नियुक्तियों हेतु कार्य परिषद् द्वारा विषय विशेषज्ञों के पैनल के अनुमोदन पर पुर्नविचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने तथा नई नियुक्तियों हेतु कार्य परिषद् द्वारा विषय विशेषज्ञों के सीलबन्द पैनल पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान करते हुए कार्यवाही हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया तथा कुलसचिव को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये जिससे कार्य आगामी 02 माह में पूर्ण हो सके।

बिन्दु संख्या–28 अन्य 1 :

डॉ0 जहॉ आरा ज़ैदी, सहायक आचार्य–हिन्दी विभाग द्वारा की जा रही अनुशासनहीनता के दृष्टिगत डॉ0 जहॉ आरा ज़ैदी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

डॉ0 जहॉ आरा ज़ैदी, सहायक आचार्य–हिन्दी विभाग द्वारा लगातार समय से न आने–जाने, पत्रों को न प्राप्त करने तथा प्रतिउत्तर में उनके द्वारा प्रेषित पत्र को कुलसचिव द्वारा पढ़कर सुनाया गया जिसपर कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 जहॉ आरा जैदी के समय से न आने–जाने, पत्रों को न प्राप्त करने एवं उनके पत्र की भाषा पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा डॉ0 जहॉ आरा ज़ैदी को चेतावनी पत्र निर्गत किये जाने पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 जहॉ आरा जैदी को कार्यशैली में सुधार लाने तथा समय से आने–जाने की सलाह दिये जाने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या–28 अन्य 2 :

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 7–ख. की अधिसूचना से लागू कराते हुए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सम्बद्धता में सहायता किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 7–ख. में दी गयी व्यवस्थानुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की सम्बद्धता का अधिकार ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा को दिये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित किये जाने पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–28 अन्य 3 :

विश्वविद्यालय द्वारा अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु आगामी 10 वर्षों के लिए विज़न डाक्यूमेंट के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित बिन्दु संख्या–27.19 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

बिन्दु संख्या–28 अन्य 4 :

दिनांक 19 अप्रैल, 2023 को राजभवन में नैक की आहूत बैठक में प्रवेश के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

माननीय कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि दिनांक 19 अप्रैल, 2023 को राजभवन में आयोजित बैठक में माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में प्रवेश बढ़ाये जाने हेतु विश्वविद्यालय के आस–पास के बड़े गांवों में जहां पर इंटरमीडिएट कॉलेज संचालित हैं, उन गांवों में वर्कशॉप का आयोजन करते हुए कॉलेज इण्टर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए प्रेरित किए जाने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–28 अन्य 5 :

प्रत्येक वर्ष काउन्सिलिंग के माध्यम से बी0एड0 में होने वाले प्रवेशों के उपरान्त रिक्त रह जाने वाली सीटों को भरे जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष काउन्सिलिंग के माध्यम से बी0एड0 पाठ्यक्रम में होने वाले प्रवेश के उपरान्त रिक्त रह जाने वाली सीटों को भरे जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिए शासन को पत्र प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–28 अन्य 6 :

प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, पूर्व कुलपति द्वारा वाट्सऐप के माध्यम से की गयी निम्नलिखित शिकायत पर कार्यवाही किये जाने विचार :–

To
The Hon'ble Vice Chancellor /Registrar and all Executive Council members
Khwaja Moinuddin Chishti Language University,Lucknow

Respected Sir

I have come to know that today you are doing a meeting of Executive Council, Sir despite reminding so many times to the Chairman and University Authority that the Executive Council constituted by you is neither as per the rules of University Statutes 2015 nor the U.P. State University Act 1973 except the Nominated Members by The Hon'ble Chancellor of the University. Kindly reschedule the meeting of Executive Council otherwise the minutes of the meeting of Executive Council will be void as per University Act 1973.
20.04.2023

Regards
Prof.Mahrukh Mirza
Professor of Commerce &
Former Vice Chancellor
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow

Copy to ACS to Hon'ble Chancellor , Khwaja Moinuddin Chishti Language University,Lucknow

निर्णय :

प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा द्वारा की गयी शिकायत पर सम्यक विचारोपरान्त कुलसचिव द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–66 में दी गयी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया, जो निम्नवत् है:–

66. कार्यवाही को रिक्तियों आदि द्वारा अविधिमान्य नहीं बनाया जायेगा–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र निम्न कारण से अवैध नही होगी :–

(क) उसके गठन में कोई भी रिक्ति या दोषः अथवा
(ख) कार्यवाही में भाग लेने पर कोई व्यक्ति जो सेवा करने का हकदार नहीं थाः अथवा
(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हुए व्यक्ति के चुनाव, नामांकन या नियुक्ति में कोई दोषः अथवा
(घ) वाद के गुणावगुण को प्रभावित न करते हुए उसकी प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता।

कार्य परिषद् द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–66 की उक्त व्यवस्था के आलोक में प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा द्वारा दिए गए पत्र को अपोषणीय मानते हुए सर्वसम्मति से निरस्त करने पर अनुमोदन प्रदान किय गया।

बिन्दु संख्या–28 अन्य 7 :

प्रो0 फखरे आलम, आचार्य के पत्र दिनांक 19–04–2023 द्वारा डॉ0 नलिनी मिश्रा, सहायक आचार्य–शिक्षाशास्त्र की अर्हता के सम्बन्ध में कार्य परिषद् की 27वीं बैठक के बिन्दु संख्या–27 में लिये गये निर्णय के अनुसार आख्या तैयार किये जाने हेतु 01 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने पर विचारः

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रो0 फखरे आलम को डॉ0 नलिनी मिश्रा की व्यक्तिगत पत्रावली का अवलोकन करा दिया गया है तदा्पेरान्त प्रो0 फखरे आलम द्वारा पत्र दिनांक 17—04—2023 के माध्यम से मांगे गए अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 19—04—2023 को कार्यालय को निर्देशित कर दिया गया था। कार्य परिषद् की 27वीं बैठक के बिन्दु संख्या—27 अन्य 1 में लिये गये निर्णयानुसार डॉ0 नलिनी मिश्रा, सहायक आचार्य आचार्य, शिक्षाशास्त्र की नियुक्ति से सम्बन्धित आख्या प्राप्त न होने के दृष्टिगत समिति से अपेक्षा की गयी कि जिन अभिलेखों/प्रपत्रों की मांग समिति द्वारा की जाय, वह अभिलेख/प्रपत्र उन्हें कुलसचिव द्वारा उपलब्ध करा दिया जाय तथा प्रो0 फखरे आलम के अनुरोध के अनुसार 01 माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

(अजय कृष्ण यादव)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष